DOIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः एफ2(150)/डीओआईटीएण्डसी/2022/03149/2023 जयपुर, दिनांकः 23/06/2023

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/ग्रुप–2/89 दिनांक 05.10.2018 एवं दिनांक 14.03.2022 से प्रभावित इस विभाग के सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायकों के द्वारा दिनांक 24.04.2023 से 02.05.2023 तक की एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की दिनांक 18.04.2023 से 05.05.2023 तक की सामूहिक अवकाश अवधि को उपार्जित अवकाश में स्वीकृत कर नियमित किये जाने हेतु वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300419 दिनांक 16.06.2023 द्वारा सहमति प्राप्त हुई है।

अतः उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में विभागीय सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायकों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों द्वारा सामूहिक अवकाश पर रहने की अवधि को उपार्जित अवकाश में स्वीकृत कर नियमित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उपार्जित अवकाश शेष न होने की दशा में नियमानुसार देय अन्य अवकाश स्वीकृत कर दिया जावें।

(सुनील छाबड़ा)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष .... ।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. समस्त ग्रुप हैड/प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6. संस्थापन अधिकारी, भुगतान शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
7. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अवकाश पंजीका, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
8. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर में पदस्थापित समस्त सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायक, मंत्रालयिक कार्मिक एवं अन्य ऐसे कार्मिक जिनका वेतन इस कार्यालय के स्तर से आहरित किया जा रहा है, को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त सामूहिक अवकाश अवधि के समायोजन हेतु राजकाज के माध्यम से अपना ऑनलाईन अवकाश आवेदन अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

विजय
23/06/2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी